भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-409
सोमवार, 24 जून, 2019/3 आषाढ़, 1941 (शक)

बेरोजगार युवाओं के लिए नई नौकरियां सृजित करना

409. श्री डी॰ के॰ सुरेशः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में बेरोजगार युवाओं के लिए नई नौकरियों के सृजन में सरकार द्वारा क्या प्रगति की गई है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार विभिन्न कार्यक्रमों और स्कीमों के माध्यम से सृजित नौकरियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत दशक में इस वर्ष नौकरी सृजन न्यूनतम स्तर पर था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए) तथा पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) एवं आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित रोजगार का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। 31 मार्च, 2019 तक, योजना के तहत 18.26 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। 16 जून, 2019 तक, 1.21 करोड़ लाभार्थियों को लाभ दिया गया।

*****

बेरोजगार युवाओं के लिए नई नौकरियां सृजित करने से संबंधित लोक सभा के दिनांक 24.06.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 409 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(क) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या) का वर्ष-वार/राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (31.03.2019 को)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	293	1398	1744	1832
2	आंध्र प्रदेश	7740	14148	12216	17648
3	अरुणाचल प्रदेश	104	1984	1672	2240
4	असम	9026	31498	18256	29896
5	बिहार	19624	25872	18456	26424
6	चंडीगढ़	323	376	360	224
7	छत्तीसगढ़	9496	12856	11704	24696
8	दिल्ली	2048	952	920	1048
9	गोवा	500	660	400	624
10	गुजरात*	14960	11629	15008	27984
11	हरियाणा	7232	11016	13744	17320
12	हिमाचल प्रदेश	5134	6916	7088	11192
13	जम्मू और कश्मीर	12115	11691	30024	60232
14	झारखंड	12873	10400	8888	14360
15	कर्नाटक	17284	30286	16920	29176
16	केरल	9653	13068	10776	19824
17	लक्षद्वीप	-	-	-	-
18	मध्य प्रदेश	16497	15520	14432	20176
19	महाराष्ट्र**	20161	17799	26632	45040
20	मणिपुर	2715	8419	4800	10328
21	मेघालय	4824	2632	600	3112
22	मिजोरम	9072	3400	1992	8984
23	नागालैंड	4998	7783	7440	9664
24	ओडिशा	17629	20392	19192	24544
25	पुडुचेरी	447	699	352	608
26	पंजाब	7762	9858	12160	14408
27	राजस्थान	14537	13408	12614	18856
28	सिक्किम	397	201	296	440
29	तमिलनाडु	20836	25764	32760	41440
30	तेलंगाना	7761	6445	9520	16336
31	त्रिपुरा	5355	17961	8928	9424
32	उत्तर प्रदेश	43059	36315	43456	41928
33	उत्तराखंड	6161	9890	12904	17440
34	पश्चिम बंगाल	12746	26604	10928	19280
	कुल	323362	407840	387184	586728

*दमन व दीव सहित

** दादर व नगर हवेली सहित

स्रोत: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

(ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए) के अंतर्गत राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार सृजित रोजगार

राज्य	एमजीएनआरईजीए के तहत सृजित मानव-दिवस (करोड़ में)				
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आंध्र प्रदेश	15.59	19.92	20.59	21.21	24.46
अरुणाचल प्रदेश	0.19	0.50	0.85	0.43	0.69
असम	2.11	4.86	4.66	4.81	5.34
बिहार	3.52	6.71	8.58	8.17	12.34
छत्तीसगढ	5.56	10.14	8.86	11.99	13.86
गोवा	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00
गुजरात	1.81	2.25	2.71	3.53	4.20
हरियाणा	0.62	0.48	0.85	0.90	0.78
हिमाचल प्रदेश	1.91	1.78	2.37	2.20	2.85
जम्मू और कश्मीर	1.21	3.16	3.16	3.71	3.71
झारखंड	4.53	5.86	7.07	5.93	5.37
कर्नाटक	4.33	5.98	9.14	8.57	10.46
केरल	5.89	7.42	6.85	6.20	9.75
मध्य प्रदेश	11.75	12.37	11.30	16.22	20.30
महाराष्ट्र	6.14	7.63	7.09	8.25	8.46
मणिपुर	1.01	0.75	1.19	0.61	1.17
मेघालय	1.67	2.00	2.83	2.92	3.42
मिजोरम	0.43	1.31	1.68	1.44	1.81
नागालैंड	0.90	2.12	2.91	2.00	1.33
ओडिशा	5.35	8.94	7.74	9.22	8.31
पंजाब	0.65	1.44	1.58	2.23	2.04
राजस्थान	16.86	23.41	25.97	23.98	29.42
सिक्किम	0.24	0.44	0.46	0.35	0.34
तमिलनाडु	26.80	36.87	39.99	23.89	25.77
तेलंगाना	10.32	14.18	10.82	11.48	11.76
त्रिपुरा	5.12	5.39	4.61	1.76	2.53
उत्तर प्रदेश	13.12	18.22	15.75	18.15	21.26
उत्तराखंड	1.47	2.24	2.37	2.23	2.22
पश्चिम बंगाल	16.96	28.65	23.56	31.26	33.85
अण्डमान और निकोबार	0.0517	0.0268	0.0412	0.0190	0.0194
लक्षद्वीप	0.00125	0.00032	0.00001	0.00059	0.00102
पुडुचेरी	0.04	0.06	0.05	0.07	0.07
योग	166.18	235.14	235.64	233.74	267.90

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग) पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के अंतर्गत वर्ष-वार और राज्य-वार डीडीयूजीकेवाई की वास्तविक उपलब्धि

डीडीयूजीकेवाई की वर्ष-वार वास्तविक उपलब्धि

क्र.सं.	राज्य	वित वर्ष 16-17		वित वर्ष 17-18		वित वर्ष 18-19		वित वर्ष 19-20 मई, 2019 तक	
		प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित
1	आंध्र प्रदेश	12787	18966	17341	10954	26128	24841	1266	1040
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	8202	1479	9936	3464	15568	7281	634	2403
4	बिहार	8608	4216	6972	4859	10526	5841	824	1218
5	छत्तीसगढ़	7355	1987	3111	539	6841	2583	1227	1354
6	गुजरात	2254	2075	528	160	4985	1486	337	352
7	हरियाणा	10512	586	2281	5832	1734	4122	329	672
8	हिमाचल प्रदेश	0	0	350	0	2550	582	204	27
9	जम्मू और कश्मीर	7300	6453	1137	1424	4176	569	762	275
10	झारखंड	8360	2355	5526	2375	7929	3421	951	634
11	कर्नाटक	10909	4432	8871	4752	7290	5411	758	1494
12	केरल	11246	5598	10587	4175	13763	9656	2216	2060
13	मध्य प्रदेश	10974	3546	5353	1823	9139	2098	1004	165
14	महाराष्ट्र	4140	3694	7082	7390	16061	4458	1526	2305
15	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
16	मेघालय	0	0	0	0	831	253	82	234
17	मिजोरम	0	0	0	0	157	0	79	0
18	नागालैंड	0	0	0	0	203	0	26	59
19	ओडिशा	32108	45726	23520	14035	41172	31658	7000	4644
20	पंजाब	0	0	4987	563	2782	1443	348	354
21	राजस्थान	3837	3397	2599	693	9613	3381	1141	345
22	सिक्किम	0	70	0	0	64	64	67	0
23	तमिलनाडु	113	30780	519	765	2820	185	1441	10
24	तेलंगाना	8969	9150	12470	9048	15569	15591	943	1408
25	त्रिपुरा	1197	342	1530	526	1816	2093	344	61
26	उत्तर प्रदेश	11203	2052	4795	892	17573	4839	3257	698
27	उत्तराखंड	0	0	0	0	1144	253	172	62
28	पश्चिम बंगाल	2512	979	2032	1518	8521	3700	981	1024
	कुल	162586	147883	131527	75787	228955	135809	27919	22898

स्रोतः ग्रामीण विकास मंत्रालय

(घ) 2014-15 से 2018-19 तक डीएवाई-एनयूएलएम के तहत वर्ष-वार, राज्य-वार प्रगति, (ईएसटी एण्ड पी) के तहत कौशल प्रशिक्षित नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या का ब्यौरा

18.06.2019 **को**

कौशल प्रशिक्षित नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या							
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	वित वर्ष 2014-15	वित वर्ष 2015-16	वित वर्ष 2016-17	वित वर्ष 2017-18	वित वर्ष 2018-19	संचयी
1	आंध्र प्रदेश	182	3116	35882	12010	54610	105800
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	113	622	735
3	असम	0	0	293	1284	443	2020
4	बिहार	0	90	176	1546	546	2358
5	छत्तीसगढ़	655	3513	5858	6476	4942	21444
6	गोवा	0	0	66	639	1255	1960
7	गुजरात	0	226	3920	6388	12804	23338
8	हरियाणा	282	0	0	685	2080	3047
9	हिमाचल प्रदेश	0	196	86	100	389	771
10	जम्मू और कश्मीर	0	254	0	25	106	385
11	झारखंड	0	0	2700	20795	5317	28812
12	कर्नाटक	0	3527	637	898	0	5062
13	केरल	0	0	443	2413	4378	7234
14	मध्य प्रदेश	2337	4307	38060	3039	31633	79376
15	महाराष्ट्र	0	0	11768	6083	20482	38333
16	मणिपुर	0	6	0	0	78	84
17	मेघालय	0	0	317	111	23	451
18	मिजोरम	0	0	147	91	1363	1601
19	नगालैंड	1866	691	341	1749	0	4647
20	ओडिशा	0	0	2467	776	0	3243
21	पंजाब	0	0	0	1139	1369	2508
22	राजस्थान	0	0	0	33	2765	2798
23	सिक्किम	0	0	0	0	248	248
24	तमिलनाडु	52988	6262	0	1156	2620	63026
25	तेलंगाना	2628	3718	1861	10013	4908	23128
26	त्रिपुरा	0	0	0	2	225	227
27	उत्तर प्रदेश	0	0	42174	30058	348	72580
28	उत्तराखंड	0	0	1731	0	1061	2792
29	पश्चिम बंगाल	2083	6322	2691	6919	8741	26756
30	अंडमान एवं द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
31	चंडीगढ़	94	1436	283	875	0	2688
32	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
33	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
34	दिल्ली	0	0	0	0	21	21
35	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल	63115	33664	151901	115416	163377	527473

स्रोत: आवास और शहरी कार्य मंत्रालय